

दिनांक 23 जुलाई, 1992

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन,
2/19, सतु बिहार, अलारी रोड,
हरिया गज, नई दिल्ली।

विषय: सेवाधाम विद्या मंदिर बहेटा, हाजीपुर, गाजियाबाद के अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवाधाम विद्या मंदिर बहेटा हाजीपुर, गाजियाबाद को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नयी दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्न-लिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सौसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के भेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली/ काऊन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 5- संस्था के शिक्षा तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बना ली जाएंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अर्थात् राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जाएगा।
- 9- उपरोक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नहीं किया जाएगा।

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित

7/7/92
4/8/92

7.2.92
(सत्य प्रतिलिपि)
एच.डी.ए. विद्या,
इंटर प्रवेश बांध

2- उक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन करना संस्थान के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति पत्र वापस ले लिया जाएगा।

भवदीय,

ह. —

। अशोक गांगुली ।
उप सचिव।

संख्या: 1918 (1) 15-13-92-4121/92 दिनांक 23-7-92

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय पार्क रोड, लखनऊ।
- 2- उप शिक्षा निदेशक, मेरठ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।
- 4- निदेशक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, सेवाधाम विद्या मंदिर बहेटा, हाजीपुर गाजियाबाद।

सत्यप्रतिक्रिया
प्रमाणित

दिनांक 4/8/92
4.8.92
(अशोक गांगुली)
उप सचिव, शिक्षा,
उत्तर प्रदेश सरकार

ह. —

। अशोक गांगुली ।
उपसचिव

पुष्पक,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
18 पार्क रोड, लखनऊ ।

सेवा में,

पुष्पक,

सेवाभारती सेवाधाम विद्यामन्दिर,
बहेटा हाजीपुर पसगना-लोनी जिलाना विद्यावाट ।

पत्रांक/वि.नि.उ.प्र.क/ 47510-15/1993-94 दिनांक: (3-1) 94

विषय:- सी.बी.एस.टी.ओ.आई.ओ./आ.ई.सी.ओ.एस.ओ.आई.ओ. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1918/15-13-92-4121/92 दिनांक 23-7-92 जोड़त कार्यालय तहिन आपको भी पृष्ठठांकित है, का अवलोकन करने का कक ट करे । इत पत्र द्वारा शासन ने विद्यालय को सी.बी.एस.टी.ओ.आई.ओ. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है और यह प्रतिबन्ध लगाया है कि विद्यालय की प्रबन्धकमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होना ।

अतः शासन द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध की पूर्ति हेतु विद्यालय की प्रबन्धकमिति में जिला विद्यालय निरीक्षक गानियावाट को विभागीय सदस्य केरम में नामित किया जाता है । कृपया विभागीय नामित सदस्य को विद्यालय की प्रबन्धकमिति में सम्मिलित करके प्रबन्धकमिति के सदस्यों की सुची माहडलीय उप शिक्षा निदेशक को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें ।

कृपया इत पत्र की प्राप्ति त स्वीकार करने का कक ट करे

भासीय,



सतीश चन्द्र श्रीवास्तव ।

सहायक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पू.सं०/गि.सं०/

/1993-94 दिनांक: गही ।

पुत्रिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थक अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद। नामित सदस्य।
- 2- अपर शिक्षा निदेशक। मा०। शिक्षा निदेशकालय, उज्जैन। इलाहाबाद
- 3- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक मेरठ मण्डल मेरठ ।
- 4- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक - 2 मेरठ मण्डल मेरठ ।
- 5- प्रधानाचार्य, सेवा भारत प्रो. वा. धाम विद्यालय मंदिर बहेटा हाजीपुर परगना लोनी जिला गाजियाबाद उज्जैन ।

। ततीशं चन्द्र श्रीवास्तव ।

सहायक शिक्षा निदेशक, एन०एस०सी०।
इसे शिक्षा निदेशक उज्जैन उज्जैन ।